हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 28 मई, 2014

संख्याः सी0सी0पी0(एन0सी0आर0) / एस0आर0पी0—2021 / 2014 / 885.— चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) जिसे इसमें इसके बाद 1985 के अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना—2021 भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 17 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (जिसे इसमें, इसके बाद बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा अधिसूचित की गई थी;

और, चूंकि, क्षेत्रीय योजना—2021 का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृद्धि तथा सन्तुलित विकास को बढ़ावा देना है और 1985 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार, बोर्ड क्षेत्रीय योजना—2021 की समीक्षा करने हेतु विस्तृत अभ्यास कर चुका है और पुनरीक्षित क्षेत्रीय योजना—2021 प्रारूप आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करने हेतु 29 जुलाई, 2013 को प्रकाशित की गई थी:

और, चूंकि, पुनरीक्षित क्षेत्रीय योजना प्रारूप पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के बाद बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2014 में पुनरीक्षित क्षेत्रीय योजना—2021 (जिसे इसमें, इसके बाद पुनरीक्षित क्षेत्रीय योजना निर्दिष्ट किया गया है) अनुमोदन कर दिया गया है, जो आगे बोर्ड की बैठक 25 अप्रैल, 2014 में लिए गये निर्णय अनुसार आंशिक रूप से संशोधित की गई है:

और, चूंकि, 1985 के अधिनियम की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार हरियाणा राज्य द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा उप क्षेत्र हेतु उप क्षेत्रीय योजना—2021 (जिसे इसमें, इसके बाद उप क्षेत्रीय योजना निर्दिष्ट किया गया है) तैयार की गई थी;

और, चूंकि, 1985 के अधिनियम की धारा 19 की उप धारा 1 के उपबन्धों के अनुसार हिरयाणा राज्य द्वारा तैयार की गई उप क्षेत्रीय योजना को 24 अक्तुबर, 2013 को बोर्ड के परीक्षण हेतु निर्दिष्ट किया गया और आगे बोर्ड के अधिकारियों से विचार—विमर्श उपरान्त उप क्षेत्रीय योजना उपयुक्त रूप से संशोधित की गई तथा 17 फरवरी, 2014 को पुनः बोर्ड को प्रेषित की गई:

और, चूंकि, बोर्ड द्वारा उप क्षेत्रीय योजनाओं के परीक्षण हेतु बोर्ड को सहयोग देने के लिए गठित योजना सिमित ने 1985 के अधिनियम की धारा 9 (1) (ख) के अन्तर्गत 20 फरवरी, 2014 को हुई बैठक में उप क्षेत्रीय योजना पर विचार–विमर्श किया और योजना सिमित ने अपनी टिप्पणियों तथा सुझावों सिहत उप क्षेत्रीय योजना को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सिफारिश की;

और, चूंकि, 1985 के अधिनियम की धारा 19 की उप धारा 2 के प्रावधानानुसार बोर्ड द्वारा 25 अप्रैल, 2014 को सम्पन्न बैठक में उप क्षेत्रीय योजना पर विस्तृत विचार—विमर्श किया और 25 अप्रैल, 2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत, टिप्पणियों सिहत, एन०सी०आर०पी०बी० के पत्र दिनांक 12 मई, 2014 द्वारा प्राप्त की गई है;

और, चूंकि, 1985 के अधिनियम की धारा 19 की उप धारा 3 के प्रावधानानुसार उप क्षेत्रीय योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व हरियाणा राज्य ने बोर्ड द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार किया;

और, चूंकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा उप क्षेत्र की उप क्षेत्रीय योजना—2021 को 1985 के अधिनियम की धारा 19 की उप धारा 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत, बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् तथा उप क्षेत्रीय योजना की संशोधित क्षेत्रीय योजना से अनुरूपता सुनिश्चित करते हुए अन्तिम रूप दिया गया है।

तदानुसार सभी सम्बन्धित की सूचना हेतु नोटिस दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा उप क्षेत्र की उप क्षेत्रीय योजना को, इसके द्वारा, अन्तिम रूप दिया गया है तथा यह विभाग की वेबसाइट अर्थात् <u>www.tcpharyana.gov.in</u> पर उपलब्ध है। उक्त योजना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11:00 बजे से सायः 3:00 बजे तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी:—

- 1. मुख्य संयोजक योजनाकार, एन०सी०आर० सैल(हरियाणा), हुडा कम्पलैक्स, सेक्टर-6, पंचकूला।
- 2. वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुड़गांव, हुडा कम्पलैक्स, सेक्टर-14, गुड़गांव।
- 3. वरिष्ठ नगर योजनाकार, फरीदाबाद, हुडा कम्पलैक्स, सेक्टर –12, फरीदाबाद।
- 4. वरिष्ठ नगर योजनाकार, रोहतक, हुडा कम्पलैक्स, सेक्टर -1, रोहतक।
- 5. जिला नगर योजनाकार, गुड़गांव, हुंडा कम्पलैक्स, सेक्टर –14, गुड़गांव।
- 6. जिला नगर योजनाकार, रिवाड़ी, पंचायत भवन, सूजनपुर रोड़, रिवाड़ी।
- 7. जिला नगर योजनाकार, फरीदाबाद, हुडा कम्पलैक्स, सेक्टर —12, फरीदाबाद।
- 8. जिला नगर योजनाकार, पलवल, मकान सं0 1498, सेक्टर –2, पलवल।
- 9. जिला नगर योजनाकार, रोहतक, हुडा कम्पलैक्स, सेक्टर -1, रोहतक।
- 10. जिला नगर योजनाकार, सोनीपत, हुडा कम्पलैक्स, सेक्टर —15, सोनीपत।
- 11. जिला नगर योजनाकार, पानीपत, हुडा कार्यालय कम्पलैक्स, सेक्टर —18, पानीपत। 12. जिला नगर योजनाकार, मेवात, पंचायत भवन (अपर उपायुक्त कार्यालय के पास), नूहॅं।
- 13. जिला नगर योजनाकार, झज्जर, लघु सचिवालय, झज्जर।

टी०सी० गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग,

HARYANA GOVERNMENT TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 28 May, 2014

No. CCP(NCR)/SRP-2021/2014/885.- Whereas, Regional Plan-2021 for the National Capital Region was notified by the National Capital Region Planning Board (hereinafter referred to as the Board) in the Government of India Gazette dated the 17th September, 2005 in accordance with the provisions of section 10 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), hereinafter referred to as Act of 1985;

And, whereas, the Regional Plan-2021 aims to promote growth and balanced development of the National Capital Region and as per the provisions of the section 15 of the Act of 1985, the Board has carried out a detailed exercise for reviewing the Regional Plan-2021 and a Draft Revised Regional Plan-2021 was published on the 29th July, 2013 inviting objections and suggestions;

And, whereas, the Board in its meeting dated the 20th January, 2014 after considering the objections and suggestions received on Draft Revised Regional Plan has approved the Revised Regional Plan-2021 (hereinafter referred to as RRP), which further stands partially amended as per the decisions taken in the Board meeting dated the 25th April, 2014:

And, whereas, in accordance with the provisions of section 17 of the Act of 1985, the Sub-Regional Plan-2021 for Haryana Sub-Region of National Capital Region (hereinafter referred to as SRP) was prepared by the State of Haryana;

And, whereas, in accordance with the provisions of sub-section 1 of section 19 of the Act of 1985, the SRP prepared by the State of Haryana was referred to the Board on the 24th October, 2013 for its examination and further, in consultation with the officials of the Board, the SRP was suitably amended and resubmitted to the Board on the 17th February, 2014;

And, whereas, the Planning Committee of the Board constituted to assist the Board in scrutinizing the Sub-Regional Plans, deliberated on the SRP in its meeting dated the 20th February, 2014 in terms of section 9(1)(b) of the Act of 1985 and the Planning Committee recommended to place the SRP before the Board alongwith its observations and suggestions;

And, whereas, the Board in its meeting dated the 25th April, 2014 has deliberated on the SRP in detail in accordance with the provisions of sub-section 2 of section 19 of the Act of 1985 and the minutes of Board meeting dated the 25th April, 2014 containing the observations of the Board have been received from NCRPB vide its memo dated the 12th May, 2014;

And, whereas, in accordance with the provisions of sub-section 3 of section 19 of the Act of 1985, the State of Haryana has given due consideration to the observations made by the Board before finalization of the SRP;

And, whereas, after due consideration of the observations made by the Board and after ensuring that the SRP is in conformity with the RRP, the Sub-Regional Plan-2021 of Haryana Sub-region of NCR has been finalised, under the provisions of sub-section 3 of section 19 of the Act, 1985;

Accordingly, notice is hereby given for the information of all concerned that the Sub-Regional Plan of Haryana Sub-Region of NCR is hereby finalised and is uploaded on the website of the Department i.e. www.tcpharyana.gov.in. A copy thereof shall also be available in the following offices for inspection from 11:00 AM to 3:00 PM on all working days:

- 1. Chief Coordinator Planner, NCR Cell (Haryana), HUDA Complex, Sector-6, Panchkula.
- 2. Senior Town Planner, Gurgaon, HUDA Complex, Sector-14, Gurgaon.
- 3. Senior Town Planner, Faridabad, HUDA Complex, Sector-12, Faridabad.
- 4. Senior Town Planner, Rohtak, HUDA Complex, Sector-1, Rohtak.
- 5. District Town Planner, Gurgaon, HUDA Complex, Sector-14, Gurgaon.
- 6. District Town Planner, Rewari, Panchayat Bhawan, Sujanpur Road, Rewari.
- 7. District Town Planner, Faridabad, HUDA Complex, Sector-12, Faridabad.
- 8. District Town Planner, Palwal, House No. 1498, Sector 2, Palwal.
- District Town Planner, Rohtak, HUDA Complex, Sector-1, Rohtak.
 District Town Planner, Sonipat, HUDA Complex, Sector-15, Sonipat.
- 11. District Town Planner, Panipat, HUDA Office Complex, Sector-18, Panipat.
- 12. District Town Planner, Mewat, Panchayat Bhawan (Near ADC Office) Nuh.
- 13. District Town Planner, Jhajjar, Mini Secretariat, Jhajjar.

T.C. GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department